अति तत्काल

संख्या 11013/20/83-स्था0(क)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर, 1983

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी कर्मचारियों द्वारा लंच समय के दौरान उचित शिष्टाचार का पालन ।

जैसाकि मंत्रालयों/विभागों को मालूम है, लंच समय के दौरान सरकारी कर्मचारियों द्वारा उचित शिष्टाचार बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में अनुदेश पहले ही विद्यमान हैं । इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट किया गया था कि -

(i) किसी भी सरकारी कर्मचारी को कार्यालय भवनों के बाहर लान में तथा भीतर या बाहर अन्य स्थानों पर ताश नहीं खेलने चाहिए, तथा,

(ii) ताशों का खेल मनोरंजन के कमरों अथवा इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत अन्य स्थानों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए ।

यह भी उल्लेख किया गया था कि इन अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी । इस आशय के भी अनुदेश विद्यमान हैं कि लंच की आधे घंटे की सीमा का न केवल अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा बल्कि पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा भी ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस समय सीमा का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाता, समय-समय पर आकस्मिक जांच की जानी चाहिए ।

2. फिर भी यह देखा गया है कि इन अनुदेशों के बावजूद भी, कुछ कार्यालयों के कर्मचारी लंच समय के दौरान लान में तथा कार्यालय परिसरों के बाहर खुले स्थानों में और आने जाने के (यातायात आईलैंड) तथा विभिन्न

.........2/-

कार्यालयों के समीप भीड़भाड़ वाले आम रास्तों के आसपास लानों पर ताश खेलते हुए देखे जाते हैं । लंच का समय समाप्त हो जाने के बाद भी उन्हें इधर उधर आवारागर्दी करते देखा गया है । चूंकि इन सभी बातों से आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ता है । इसलिए विद्यमान अनुदेशों का कड़ाई से पालन किए जाने की आवश्यकता को एक बार पुन: दोहराया जाता है । राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक के अवसर पर दिल्ली में आने वाले विभिन्न उच्चाधिकारियों के संदर्भ में इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना और भी अधिक आवश्यक है । अत: वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों को कड़ाई से अनुपालन किए जाने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना में एक बार पुन: ला दें ।

इस कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद अलग से जारी कर दिया गया है ।

ह0/-
(एस0 कृष्णन)
संयुक्त सचिव भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
मानक सूची के अनुसार ।

-:0:-